सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-3392/JH/22/2024-ESDW-RU-IV दिनांक: 03/07/2026

सेवा मे ,

जिलाधिकारी,
जिला-रामगढ़
डीसी ऑफिस,
रामगढ़, झारखंड 829122
ई-मेल: dc-ramgarh@gov.in

विषय: **मौजा बंजी, थाना माण्डू, खाता नं. 1, प्लॉट नं 479 रकबा 1.90 एकड़ कोडकर लगान निर्धारण भूमि का भौतिक एवं ऑनलाईन पंजी-2 में दर्ज करने के संबंध में – श्री कमलेश गंझू पिता श्री अहतो गंझू, ग्राम+पोस्ट बंजी, खाना-माण्डू, जिला-रामगढ़(झारखंड) का दिनांक 10.06.2024 का पत्र/अभ्यावेदन ।**

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए **आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली** में दिनांक **15.07.2026 को 15.45 Hrs** बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त / Purnendu Kant)
निदेशक / Director
ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in
Ph. No. 011-24645826

प्रति, सिटिंग मे उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:
श्री कमलेश गंझू,
पिता श्री अहतो गंझू,
ग्राम+पोस्ट बंजी, खाना-माण्डू,
जिला-रामगढ़ (झारखंड)
Mobile No: 6200599714

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading